<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>प्रकरण संख्या– 35/2024</u>

1. राजेश पुत्र कालुराम जाति मेंघवशी साकिन कुंजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

–अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः– श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता अपीलांट

दिनांकः– 31/01/2025

<u>निर्णय</u>

अपीलांट राजेश पुत्र कालुराम जाति मेंघवशी साकिन कुंजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.) द्वारा विरूद्व निर्णय तहसीलदार (भू.अ.) भादरा दिनांक 17.05.2024 प्रकरण संख्या 17/2024 जिसमें वसीयत के मुताबिक इंतकाल दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया को, निरस्त कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करवाने बाबत् अपील प्रस्तुत की है, जो इस प्रकार है–

1. अपीलकृत निर्णय विधि विरूद्ध तथ्यों के विपरित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है।

2. रामकिशन पुत्र चेतराम जाति मेंघवशी साकिन कुंजी तहसील भादरा अपनी कृषि भूमि रोही मौजा कुंजी तहसील भादरा की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 133/125 के ख.न. 226, 231, 232, 252, 253 की कुल 22.3200 हैक्टेयर भूमि में से 249–17/28 हिस्सा में से 1/6 हिस्[illegible] मौजा कुंजी तहसील भादरा की जमाबन्दी के खाता संख्या 132/126 के ख[illegible]6 का कुल 5.5900 हैक्टेयर भूमि में से 1/28 हिस्सा भूमि थी जिसकी [illegible] जीवन काल में ही एक [illegible] दिनांक 30.07.2020 को उप पंजियक भादरा [illegible] अदालत में अपने सगे [illegible] के लड़के अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक करवा दी थी। रामकिशन पुत्र चेतराम जाति

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.03.28 14:07:03 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

मेंघवशी साकिन कुंजी तहसील भादरा का दिनांक 22.11.2022 को देहांत हो गया इसलिए बाद देहांत रामकिशन पुत्र चेतराम जाति में घवशी साकिन कुंजी तहसील भादरा अपीलान्ट विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार हुआ। इसलिए अपीलान्ट ने मुताबिक वसीयत दिनांक 30.07.2020 के आधार पर विवादित भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के लिए तहसीलदार (भू.अ.) भादरा की अदालत में एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जो बाद सुनवाई दिनांक 17.05.2024 को प्रार्थना खारिज कर दिया गया, जो कि मातहत अदालत ने विधि के मान्य सिद्धान्तो के खिलाफ निर्णय किया है, जो निरस्त योग्य है।

3. मातहत अदालत ने निर्णय पारित करने से पूर्व कानूनी स्थिति का गहन अवलोकन नहीं किया। कानूनी स्थिति के मुताबिक वसीयत करने का एक खातेदार काश्तकार को अधिकार है, जो अपनी भूमि की किसी के पक्ष में कर सकता है। मातहत अदालत ने अपने निर्णय में दर्ज किया है कि वसीसत की गई भूमि स्वअर्जित ना होकर पैतृक भूमि है। जिसमें सभी वारीसान का हिस्सा होता है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है जबकि वसीयत से उसके वारीसान सहमत है वहां सहमति को ध्यान में रखते हुए मुताबिक वसीयत इन्तकाल दर्ज करने का आदेश मातहत अदालत को करना चाहिए था उसके वाबजूद भी विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है इसलिए मातहत अदालत का निर्णय विधि के मान्य सिद्वान्तों के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है।

4. अपीलान्ट ने मातहत अदालत में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को साबित करने के लिये पटवारी हल्का से रिर्पाट ली गयी जिस पर पटवारी हल्का रिर्पोट में दर्ज किया है कि विवादित भूमि पर किसी प्रकार का विवाद व स्थगन आदेश नहीं है एवं अखबार में सूचना प्रकाशित की जिस पर कोई आपति पेश नहीं हुई एवं साक्ष्य में वसीयत के गवाहों के ब्यान करवाये जिससे प्रार्थना पत्र के तथ्यों को भलीभाति साबित किया उसके वाबजूद भी मातहत अदालत ने प्रार्थना पत्र खारिज करने में एक अहम भूल की है जिस कारण भी मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

5. मातहत अदालत में विवादित भूमि एवं वसीयत बाबत् कोई आपति प्रस्तुत नहीं हुई कानूनी स्थिति के मुताबिक [illegible] को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के प्रार्थना [illegible] मातहत अदालत ऐसा नहीं कर विधि के मान्य सिद्वान्तों के खिलाफ [illegible] है जो निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.03.28 14:07:03 IST
Reason: SelfAttested

6. मातहत अदालत ने अपने निर्णय में दर्ज [illegible] है कि वसीसत की गई भूमि स्वअर्जित ना होहर पैतृक भूमि है जिसमें सभी वारीसान का हिस्सा होता है इसलिए

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है जबकि वसीयत से उसके वारीसान सहमत है वहां सहमति को ध्यान में रखते हुए मुताबिक वसीयत इन्तकाल दर्ज करने का आदेश मातहत अदालत को करना चाहिए था जबकि कानूनी स्थिति के मुताबिक वसीयत, वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा है जो अपने नाम दर्ज खातेदारी भूमि की किसी के भी पक्ष में वसीयत कर सकता है वसीयत पर किसी भी पक्षकार को कोई आपति नहीं है इसलिये मुताबिक वसीयत विवादित भूमि को अपीलान्ट के नाम अमल दरामद करने का आदेश जारी करना चाहिये था उसके वाबजूद भी मातहत अदालत ने बिना किसी ठोस आधार के प्रार्थना पत्र को खारिज किया है इसलिये मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

7. मातहत अदालत का निर्णय स्वैच्छाचारी मनमाना एवं कानून सम्मत नहीं है जो निर्णय कि परिभाषा में नहीं आता है इसलिए निरस्त योग्य है।

8. मातहत अदालत का निर्णय स्पीकिंग आर्डर नहीं है जो निर्णय कि परिभाषा में नहीं आता है इसलिए अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

9. अपीलांट को पत्रावली में तारीख पेशी नहीं दी गई थी साक्ष्य पेश होने के बाद गुपचुप तरीके से दिनांक 17.05.2024 को निर्णय कर दिया लेकिन अपीलांट ग्रामीण काश्तकार पेशा व्यक्ति है जिसे कानूनी प्रकिया की कोई जानकारी नहीं है दिनांक 19.07.2024 को तहसील में पत्रावली की जानकारी प्राप्त की तो निर्णय होने की जानकारी हुई उसी समय नकल प्राप्त कर जानकारी चाही तो निर्णय के खिलाफ अपील पेश करना बताया गया तब वकील में मेंहन्ताना की व्यवस्था कर दिनांक 12.08.2024 को वकील से सम्पर्क किया और आज बिना किसी देरिना के तुरन्त अपील पेश की जा रही है जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।

10. अपील अदालत के क्षैत्राधिकार निर्धारित कोर्ट फीस पर पेश व ज्ञान से अन्दर मियाद है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

लिहाजा अपील अपीलान्ट पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर निर्णय दिनांक 17.05.2024 निरस्त कर प्रार्थना पत्र अपीलांट स्वीकार कर विवादित भूमि मुताबिक वसीयत दिनांक 30.07.2020 के आ[illegible]पीलांट के नाम इंन्तकाल दर्ज करने का आदेश तहसीलदार [illegible] को फ[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.03.28 14:07:03 IST
Reason: SelfAttested

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की ग[illegible] रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रामकिशन पुत्र चेतराम जाति मेंघवशी साकिन कुंजी तहसील भादरा अपनी कृषि भूमि रोही मौजा कुंजी तहसील भादरा की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 133/125 के ख.न. 226, 231, 232, 252, 253 की कुल 22.3200 हैक्टेयर भूमि में से 249–17/28 हिस्सा में से 1/6 हिस्सा एवं रोही मौजा कुंजी तहसील भादरा की जमाबन्दी के खाता संख्या 132/126 के ख.न. 216 की कुल 5.5900 हैक्टेयर भूमि में से 1/28 हिस्सा भूमि थी, जिसकी अपने जीवन काल में ही एक वसीयत दिनांक 30.07.2020 को उप पंजीयक भादरा में अपनें भतीजे/अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक करवा दी थी। रामकिशन पुत्र चेतराम जाति मेंघवशी साकिन कुंजी तहसील भादरा का दिनांक 22.11.2022 को देहांत हो गया। इसलिए बाद देहांत रामकिशन पुत्र चेतराम जाति मेंघवशी साकिन कुंजी तहसील भादरा अपीलान्ट विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार हुआ। अपीलांट के चाचाजी कुंवारा व लावल्द था जिसके कोई सन्तान नहीं थी तथा भाईयों के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है। अतः अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा का निर्णय दिनांक 17.05.2024 अपास्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एंव तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा द्वारा दिनांक 17.05.2024 को पारित निर्णय में अंकित किया कि "वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत की गई भूमि स्वंय अर्जित नहीं होकर पैतृक भूमि है। वसीयत की गई भूमि पैतृक संपति(विरासतन में प्राप्त) है। अतः विरासतन में प्राप्त भूमि पर हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 के तहत उसके समस्त वारिसों का हक व हिस्सा होता है"। अपीलांट ने इस आश्य का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया कि अपीलांट के चाचा रामकिशन पुत्र चेतराम जाति मेघवंशी निवासी कुंजी तहसील भादरा कुंवारा व लावल्द था, जिसके कोई सन्तान नहीं थी तथा भाईयों के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है।

न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा द्वारा दिनांक 17.05.2024 को पारित निर्णय में त्रुटि कारित की है। अपीलांट ने इस आश्य का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया कि अपीलांट के चाचा रामकिशन पुत्र चेतराम जाति मेघवंशी निवासी कुंजी तहसील भादरा कुंवारा व लावल्द था, जिसके कोई सन्तान नहीं थी तथा भाईयों के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.05.2024 को पारित निर्णय को अपास्त किया जाता है एंव पत्रावली तहसीलदार भादरा को इस निर्देश के साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.03.28 14:07:03 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि वसीयतकर्ता के वारिसों की जांच कर नियमानुसार प्रकरण को निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे।

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 31/1/25 को सरेइजलास सुनाया गया।

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.03.28 14:07:03 IST
Reason: SelfAttested